प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा 9 जनपदों–1–रामपुर 2–गाजीपुर 3–फतेहपुर 4–हरदोई 5–रानोपाली (फैजाबाद) 6–कालपी (जालौन) 7–मुजफ्फरनगर 8–रामनगर (वाराणसी) एवं 9–बदायूॅ में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं।

उपरोक्त आस्थानों में नवनिर्मित शेड सामान्य सुविधा केन्द्र तथा खुली भूमि पर एक हजार वर्ग गज के प्लाट उपलब्ध हैं जो अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अपने उद्योग संचालित करने के लिए कम किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं प्रति शेड 25/– रूपये प्रति माह किराये पर तथा भूखण्ड लीज डीड एवं शर्तो के अधीन दिये जाने का प्राविधान है।

निदेशालय समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।